



Neutral Citation No. 2026:AHC:20823

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- – 5344 / 2025

राम नयन और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

आमिर निज़ाम सत्य श्रीवास्तव शबाना निज़ाम

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी मुख्य स्थाई

अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

"ए. उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा चकबंदी अधिकारी कीरतपुर जिला जौनपुर द्वारा मुकदमा संख्या 616/सीओ/202021 में दिनांक 23.12.2020 को पारित आदेश को रद्द किया जाए यह आदेश ग्रामसुरिस परगना अंगुली जिला जौनपुर तहसील शाहगंज में स्थित 0.02 डिसमिल क्षेत्रफल वाले प्लॉट संख्या 4119 एम के संबंध में था जिसके तहत उक्त प्लॉट को चक संख्या 961 से बाहर कर दिया गया था साथ ही सहायक चकबंदी अधिकारी देवकाली/मणिकाला जिला जौनपुर की दिनांक 23.12.2020 की आख्या प्रदर्शी को भी रद्द किया जाए।

ब. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह मुकदमा संख्या 616/सीओ/202021 में याचिकाकर्ता गण के रिकॉल/बहाली आवेदन पर विचार करे और निर्धारित समय सीमा के भीतर उस पर निर्णय ले।"

3. यह निवेदन किया जाता है कि सहायक चकबंदी अधिकारी ने प्लॉट संख्या 4119 एम के संबंध में भूमि राजस्व अभिलेख को ठीक करने के लिए दिनांक 23.12.2020 को एक एकपक्षीय संदर्भ भेजा है। इसके बाद चकबंदी कार्यालय ने उसी दिन दिनांक 23.12.2020 के अपने एकपक्षीय आदेश द्वारा उक्त संदर्भ को स्वीकार कर लिया है।

4. काफी लंबी और गहन चर्चा के बाद याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से परमादेश जारी करने की प्रार्थना की है जिसमें चकबंदी अधिकारी को यह निर्देश दिया जाए कि वह दिनांक 23.12.2020 के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एकपक्षीय संदर्भ आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता गण की ओर से दायर बहाली आवेदन पर निर्णय ले जो अभी विचाराधीन है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि बहाली आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश जारी किया जाता है।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा अतः यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है। ऐसा करते समय न्यायालय मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है जैसा कि रिट याचिका में उल्लेखित है बल्कि चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 3) जिनके समक्ष दिनांक 23.12.2020 के एकपक्षीय आदेश के विरुद्ध बहाली आवेदन विचाराधीन है को यह निर्देश देता है कि वे कानून के अनुसार और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पाँच महीने की अवधि के भीतर उक्त आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ इस याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

30 जनवरी 2026

वीकेजी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"